न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (उदयपुर आर्डर)

अम्बा सिंह पिता श्री केसर सिंह चदाणा, निवासी नाहरों का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
आदेश जिला कलेक्टर, उदयपुर
दिनांक 18.04.2017, प्र.सं. 18/16

---/---

उपस्थित :– 1– श्री जी.एस. मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

---::---

निर्णय **दिनांक 11–09–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट/विपक्षी के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम नाहरों का गुड़ा में आराजी नंबर 2693/2030 रकबा 0.5200 हैक्टर भूमि का आवंटन दिनांक 25–06–1999 जो विपक्षी अम्बासिंह के गैर खातेदारी में दर्ज होना बताते हुए विपक्षी का कब्जा नहीं होने तथा उसके द्वारा काश्त नहीं किये जाने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी द्वारा देते हुए निवेदन किया कि 12 वर्षो से उक्त भूमि पर उसका कब्जा है। आवंटन पश्चात मगरी भूमि को विपक्षी द्वारा समतल कर फसल उगायी जा रही है। आवंटन शर्तो की उसके द्वारा पूर्व पालना की गयी है तथा उसके जीवन–यापन के लिए मात्र यही

भूमि है। यदि जमीन उसके हक व आधिपत्य से निकल जायेगी तो वह बेरोजगार व भूमिहीन हो जायेगा एवं उसके भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। अपना कब्जा होने की उसके द्वारा खसरा गिरदावरियां भी प्रस्तुत की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2012 में अपने निर्णय दिनांक 17–09–2012 से विपक्षी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाना मानते हुए तहसीलदार का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी/अपीलान्ट को किया गया आवंटन खारिज कर दिया तथा विवादित भूमि तहवील सरकार लिये जाने के आदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 16/2012 निर्णय दिनांक 17–09–2012 के विरूद्ध विपक्षी/अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 76/2012 के रूप में पंजीबद्ध की जाकर अपने निर्णय दिनांक 08–08–2016 से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलान्ट को पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें।

इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 18/2016 के रूप में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/अपीलान्ट को दिनांक 16–09–2016 से 27–03–2017 तक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये तथा दिनांक 03–04–2017 को प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद दिनांक 18–04–2017 को आवेदक/रेस्पोन्डेन्ट का आवेदन स्वीकार कर अपीलान्ट/विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन को खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18–04–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा को सम्मन जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अपीलान्ट का इस भूमि पर 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने की साक्ष्य उपलब्ध है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2060 से 2063 में अपीलान्ट की काश्त दर्ज है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। उसके द्वारा आवंटन छल या कपट से प्राप्त नहीं किया गया है, बल्कि विधि अनुसार आवंटन किया गया है। उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कब्जा निरीक्षण का भी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय खारिज कर दिया गया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट आवंटी को आवंटन दिनांक 25–06–1999 अर्थात संवत् 2056 में को किया गया है। उसके द्वारा आवंटन के बाद काश्त किये जाने की साक्ष्य खसरा गिरदावरी संवत् 2060 से 2063 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें संवत् 2063 में सिर्फ 0.20 हैक्टर भूमि पर उसकी काश्त अंकित है। अर्थात आवंटन के 7 वर्ष बाद आवंटी द्वारा सिर्फ एक वर्ष में मात्र 0.20 हैक्टर पर काश्त की गयी है, जबकि उसे आवंटन 0.52 हैक्टर भूमि का किया गया है। हालांकि अभी आवंटन की शर्तो के संबंध में संबंधित नियमों में नियम 14 (3) के तहत आवंटन की शर्तो में यह वर्णित किया गया है कि आवंटी को आवंटित भूमि पर उसी समय काश्त करना होगा। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन वर्ष 1999 के बाद करीब 19 वर्षो में उसमें द्वारा मात्र संवत् 2063 में ही आवंटित भूमि से आधे से भी कम रकबे पर काश्त किये जाने की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गयी है। इतनी लम्बी अवधि तक भूमि को उपयोग में नहीं लिया जाना नियम 14 (3) का स्पष्ट उलंघन है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलान्ट उसके द्वारा काश्त किये जाने की साक्ष्य पेश करे, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–09–2016 से 27–03–2017 कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी

उसके द्वारा नियम 14 (3) के तहत काश्त किये जाने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा नियम 14 (4) में आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने पर भी आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट होता है कि आवंटी द्वारा आवंटन के 7 वर्ष बाद सिर्फ एक वर्ष में आवंटित 0.52 हैक्टर रकबे में से मात्र 0.20 हैक्टर रकबे पर काश्त की गयी है तथा आवंटन के 19 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आवंटी द्वारा इस दौरान भूमि काबिल काश्त किये जाने अथवा काश्त किये जाने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, तद्नुसार 19 वर्षो तक आवंटन शर्तो की भूमि पर काश्त नहीं किये जाने से आवंटन को बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि नियमों की मंशानुसार व्यक्ति को कोई आवंटन उसे काश्त करने के लिए किया जाता है, न कि भू–स्वामी बनने के लिए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/विपक्षी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा काश्त बाबत् किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आंवटन शर्तो की अपालना मानते हुए अपीलान्ट/आवंटी का आवंटन खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–04–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर